

पुर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21.09.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिलीप सिंह) 21/09/23 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या
70 / 2022

जीसीएमएस
2022 / 120

दायर दिनांक
01.06.2022

निर्णय दिनांक
21.09.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. किशन सिंह तंवर पुत्र प्रभूसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत सा. वार्ड नं. 9 नीझर छापुड़ा कला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नि स्व. मदनसिंह आयु 60 वर्ष
2. पुष्पा कंवर पुत्री समन्दर सिंह आयु 30 वर्ष
3. बोदूसिंह पुत्र विजय सिंह आयु 60 वर्ष
4. भवानी सिंह पुत्र समन्दर सिंह आयु 35 वर्ष
5. महेन्द्रसिंह पुत्र मदन सिंह आयु 30 वर्ष
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र समन्दर सिंह आयु 30 वर्ष
7. राजसिंह पुत्र मदन सिंह आयु 27 वर्ष
8. लादूसिंह पुत्र हरनाथसिंह आयु 65 वर्ष
9. भांकरसिंह पुत्र मदनसिंह आयु 35 वर्ष
10. सन्तोशकंवर पत्नि स्व. समन्दरसिंह आयु 25 वर्ष
11. बजरंग सिंह पुत्र सुरजनसिंह आयु 45 वर्ष
12. नाथू सिंह पुत्र सुरजनसिंह आयु 42 वर्ष
13. हनुमानसिंह पुत्र पाबूदानसिंह आयु 65 वर्ष
14. आशुसिंह पुत्र रामसिंह आयु 35 वर्ष
15. कर्णसिंह पुत्र रामसिंह आयु 38 वर्ष
16. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह आयु 33 वर्ष
17. बन्नेसिंह पुत्र अन्नेसिंह आयु 75 वर्ष



Dilip Singh
21/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18. बोदूसिंह पुत्र अन्नेसिंह आयु 65 वर्ष
19. बोदूसिंह पुत्र विजयसिंह आयु 60 वर्ष
20. भवानीसिंह पुत्र रामसिंह आयु 50 वर्ष
21. महावीरसिंह पुत्र रामसिंह आयु 30 वर्ष
22. आशु सिंह पुत्र रामसिंह आयु 35 वर्ष
23. औमकंवर पुत्री जतनसिंह आयु 60 वर्ष
24. झाबर सिंहपुत्र जतनसिंह आयु 50 वर्ष
25. मोहनसिंहपुत्र जतनसिंह आयु 40 वर्ष
26. करणसिंह पुत्र रामसिंह आयु 38 वर्ष
27. गंगा कंवर पत्नि नारायणसिंह आयु 65 वर्ष
28. गोकुलसिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 50 वर्ष
29. रघुवीरसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 30 वर्ष
30. सदाकंवर पुत्री किशोरसिंह आयु 30 वर्ष
31. सुनीता कंवर पत्नि स्व. किशोरसिंह आयु 50 वर्ष
32. सुमन कंवर पुत्री नारायणसिंह आयु 30 वर्ष
33. सुमेरसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 45 वर्ष
34. हिममतसिंह पुत्र किशोरसिंह आयु 35 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम हरीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
35. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण आयु 30 वर्ष
36. रामकरण पुत्र शिवराम आयु 50 वर्ष समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम हरीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
37. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा अजीतगढ
38. प्रबंधक, यूको बैंक शाखा अजीतगढ
39. प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भाखा शाहपुरा
40. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा हरदासकाबास
41. पटवारी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी
42. उपतहसीलदार अजीतगढ



P. Singh
21/09/21
विलियम सिंह
सहायक कलेक्टर (फाट टैक)
श्रीमाधोपुर (नी)

उपस्थित :-

श्री विक्रम सिंह बांकावत , एडवाकेट वादी

श्री निखिल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 7, 16, 18, 35 व 36 की ओर से
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 43 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्माएवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6746 रकबा 2.80 है०, खसरा नम्बर 6747 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 6748 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 6751 रकबा 0.81 है० कुल किता 4 कुल रकबा 4.22 है० एवं खसरा नम्बर 5885/7824 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 5886 रकबा 0.84 है०, खसरा नम्बर 5888 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 5889 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 5890 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 5891 रकबा 0.32 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है० एवं खसरा नम्बर 6736 रकबा 1.00 है०, खसरा नम्बर 6743 रकबा 0.47 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 है० अवस्थित तन ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिल्ला सीकर राज. के हिस्सा 7/20 भाग का वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है । उक्त वर्णित कृषि भूमियों के हिस्सा 7/20 भाग का वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा शेष भूमि की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 व इनके मृतक बुजुर्गान के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामिल होती चली आ रही है , परन्तु मौके पर अर्सा कदीम से बंटी हुई है । मौके पर चले आ रहे बंटवारा अनुसार वादी भूमि खसरा नम्बर 6746 रकबा 2.80 है० में संलग्न नजरी नक्शे में



21/08/17
विक्रम सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

दर्शितानुसार अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की 28110 भूमि में काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की भूमि को संलग्न नजरी नक्शों में एबीसीडी बिन्दुओं व ताल रयाही से सीमांकित किया गया है। जिसमें आने का रास्ता संलग्न नजरी नक्शानुसार गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 5928 से चालु होकर भूमि खसरा नम्बर 5886 में से होता हुआ वादी की उक्त कब्जे काश्त की भूमि तक आता है। यहाँ गौरतलब है कि वादी ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 के भाई बन्धुओं व परिवारजनों से क़य करते हुये मौके पर अपनी क़यशुदा भूमि का कब्जा भूमि खसरा नम्बर 6746 में प्राप्त किया था। उक्त भूमि अर्सा कदीम से मौके पर फ़सकारान के मध्य बंटी हुई है। परन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामिल होती चली आ रही है। इसी के चलते वादी ने उक्त भूमि को क़य करने के बाद भूमि खसरा नम्बर 6746 में नजरी नक्शों में दर्शितानुसार भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा उसके बाद उक्त भूमि में लाखों रूपये लगाकर व बड़ी मेहनत करके उक्त भूमि को समतल, उपजाऊ व विकसीत किया। इसके बाद उक्त भूमि में 4 मुर्गीफार्म के शेड बनाकर उक्त भूमि को मुर्गीफार्म हाउस के रूप में उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा आवश्यकतानुसार सैनिटरी बाथरूम का भी निर्माण करवा रखा है तथा भेड़बंदी, तारबंदी आदि करके अपने हक हिससे की भूमि की अलग अलग हद हदुद व सीमा चिन्ह कायम कर रखे हैं। वादी की उक्त कब्जे काश्त की भूमि में आना का रास्ता गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 5928 से चालु होकर भूमि खसरा नम्बर 5886 में से होता हुआ वादी की भूमि में आता है। जो कि उक्त रास्ता वादी की भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का हक सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामिल होती चली आ रही है परन्तु मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवार हो रखा है। वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार व संलग्न नजरी नक्शानुसार वादी अपने हक अधिकार की भूमि पर बतौर खातेदार अलग काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 36 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि को विकसीत करके मुर्गी फार्म हाउस के रूप में विकसीत कर रखा है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि की



Signature
21/09/2018
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीमघाट (नैमकायाना)

अलग से सीवडोल, तारबंदी आदि करके अलग से सीमा चिन्ह कायम कर रखे हैं। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 ने अपनी अपनी भूमि की अलग अलग सीमाएं कायम की हुई। इस प्रकार उक्त भूमि मौके पर बंटी होकर वादी अपने एक हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज काशत चला आ रहा है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में सामलाती चली आ रही है। उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई परन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामिल करने के कारण वादी अपने कब्जे काशत की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा तथा सरकारी अनुदान सहायता, ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण 1 ता 36 को उक्त भूमि का तकास्मा करवाकर अपने अपने कब्जे काशत की भूमि की अलग से जमाबंदी व राजस्व रिकोर्ड दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे हैं तथा दुसरी स्थिति में उक्त भूमि में सहखातेदार की संख्या अधिक होने के कारण उक्त सभी सहखातेदार एक साथ बंटवारे हेतु उपस्थित नहीं हो पाने के कारण भी उक्त भूमि का तकास्मा नहीं हो पा रहा। जिसके लिए वादी ने काफी प्रयास किये। इसी के चलते वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का मौका स्थिति व कब्जे काशत के अनुसार तकास्मा करवाने, राजस्व रिकोर्ड, उक्त भूमि में अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादीगण हमेशा समयभाव बताकर टालमटोल करते रहे हैं। परन्तु वर्तमान में भूमि की बढ़ती कीमतों को देखकर एवं वादी द्वारा लाखों रूपये लगाकर अपनी भूमि को अत्यधिक विकसित, उन्नत कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार एक दुसरे के हक में राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने एवं तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे हैं। जिसका प्रतिवादीगण को किसी किस्म का हक सरोकार नहीं है। इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिये वादपत्र की मद नम्बर 1 व 3 में वर्णित वादी के कब्जे काशत की भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए.बी.सी.डी बिन्दुओं से दर्शाया गया है, का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी को उसके कब्जा काशत भूमि का अलग से काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शा ट्रेस



21/09/21
 विनियम सि.प्र. (फास्ट ट्रेक)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमदाधोपुर (नियमकायानु)

में अलग से इन्दाज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वर्तमान में जमीनों की किमतों के बढ़ जाने के कारण एवं वादी द्वारा लाखों रुपये लगाकर एवं मेहनत आदि करके अपनी भूमि को काफी विकसीत कर लिये जाने के कारण वादी की भूमि बेशकीमती हो गई है। प्रतिवादीगण अधिक संख्या में होने के कारण एक साथ एक जगह तकास्मा हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे हैं एवं वादी के कब्जा काशत में मजाहमत पैदा करने लगे हैं तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं एवं बिना तकास्मा करवाये अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान व अन्तरण करने पर आमादा हो रहे हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो जावेंगे तो वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जान किसी भी सुरत में संभव नहीं होगा। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की विधिक अधिकारी है। इसलिये प्रतिवादीगण को उक्त बैजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अर्सा करीब सप्ताह भर पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना कर दिया तथा वादी के उसके कब्जे काशत की भूमि के कब्जे काशत व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने लगे तथा बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकिया देने लगे तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना करने लगे। इस पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6746 रकबा 2.80 है, खसरा नम्बर 6747 रकबा 0.35 है, खसरा नम्बर 6748 रकबा 0.26 है, खसरा नम्बर 6751 रकबा 0.81 है, कुल किता 4 कुल रकबा 4.22 है एवं खसरा नम्बर 5885/7824 रकबा 0.16 है, खसरा नम्बर 5886 रकबा 0.84 है, खसरा नम्बर 5888 रकबा 0.11 है, खसरा नम्बर 5889 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 5890 रकबा 0.28 है, खसरा नम्बर 5891 रकबा 0.32 है, कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 है एवं खसरा नम्बर 6736 रकबा 1.00 है, खसरा नम्बर



P. K. Sharma
21/09/21
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रक)
श्रीवाघापुर (नीमकाणाना)

6743 रकबा 0.47 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 है० अवस्थित तन ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज में वादी के कब्जे काशत की हिस्सा 7/20 भाग अर्थात् 2.61 है० भूमि, जो कि उक्त वर्णित मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 6746 रकबा 2.80 है० में से 2.61 है० भूमि है, जिसको संलग्न नक्शे में ए.बी.सी.डी बिन्दुओ व लाल स्याही से दर्शाया गया है, का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी को उसके कब्जा काशत की उक्त भूमि का तन्हा काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी की भूमि की अलग से जमाबंदी जारी की जावे तथा राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शा ट्रेस में वादी की भूमि का अलग से अंकन किया जावे तथा वादी की भूमि में आवगमन के उक्त रास्ते को भी नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 43 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है ।



इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व 36 की ओर अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 15, 17, 19 ता 34 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 43 की तामील असालतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 15, 17, 19 ता 34, 43 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 38 ता 42 के खिलाफ वकील वादी द्वारा वादपत्र विझा किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 38 ता 42 के विरुद्ध वादपत्र विझा किए जाने की स्वीकृति दी गई । प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर मौक पर बाहमी बंटवारानुसार चले आ रहे कब्जे काशत अनुसार उनके मध्य बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उनकी ओर से उपस्थित श्री

21/02/23 विलियम सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमती शर्मा एडवाकेट ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर वकील वादी के निवेदन एवं वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति जाहिर करने व मोके पर पक्षकारान के मध्य बाहसी बंटवारा अनुसार चले आ रहे कब्जे काशत व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वकूलाय उभय पक्षकारान की सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस वकूलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। उक्त बहस बहुपक्षीय तथा आपसी सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काशत के अनुसार विधिक

विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 18.01.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 832 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रजात

रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./23/1455 दिनांक 18.08.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.09.2023 को पेश हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकूलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकूलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड

21/09/2023
श्रीमती शर्मा एडवाकेट
सहायक कलक्टर (फाट देवी)
श्रीमाधोपुर (नोगकायाना)

खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 36 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम रूप का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—



उपरोक्त विश्लेषण से वादीका वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 27.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0न0	रकबा (हे0)	किस्म	लगान
1.	176	आशुसिंह, कर्णसिंहपुत्रगणरामसिंहहिस्सा 1/18 राहिन युकोबैक शाखाअजीतगढभवानी सिंह महावीर सिंह पि.रामसिंहहिस्सा 1/18 राहिनपंजाबनेशनलबैक	5885/7824 5886 5888 5889	1.77	बारानी 2	

21/09/23
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

		शाखाहरदासकाबासगजेन्द्र रामसिंहहिस्सा 1/36 प्रमूसिंहजातिराजपूतहिस्सा राहिनआईसीआईसीआईबैंक शाखा शाहपुरा जतन सिंह पुत्र अन्नेसिंहहिस्सा 1/12 बन्नेसिंह पुत्र अन्नेसिंह हिस्सा 5/36 बोदुसिंहपुत्र अन्नेसिंहहिस्सा 5/36जातिराजपुतबोदुसिंहपुत्र विजयसिंहहिस्सा 1/30 जातिराजपुतराजेन्द्रकुमारपुत्र रामनारायण हिस्सा 1/60 रामकरणपुत्र शिवराम हिस्सा 1/10 जातिअहीरसा.देह	सिंह पुत्र किशनसिंहपुत्र 7/20 शाखा शाहपुरा अन्नेसिंहहिस्सा हिस्सा अन्नेसिंहहिस्सा रामनारायण हिस्सा हिस्सा	58980 58991			
		योग		किता-6	1.77	-	
		गुलाबकंवर पत्नि मदनसिंह महेन्द्रसिंह राजुसिंह शंकरसिं पि. मदनसिंह हिस्सा 1/18 हि. ब. किशनसिंह पुत्र प्रमूसिंह हिस्सा 7/20 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा शाहपुरा पुष्पाकंवर पुत्री समन्दरसिंह सन्तोष कंवर पत्नि समन्दरसिंह, भवानीसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्रगण समन्दरसिंह हिस्सा 1/18 हिस्सा बराबर बोदुसिंह पुत्र विजयसिंह हिस्सा 1/30 हिस्सा बराबर लादूसिंह, सुरजनसिंह पिता हरनाथसिंह हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर हनुमानसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हिस्सा 1/18 जाति राजपूत राजेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/60 रामकरण पुत्र शिवराम हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा. देह		6736 6743	1.47	बराणी 3	
		योग		किता-2	1.47	-	
3	394	किशनसिंह पुत्र प्रमूसिंह जाति राजपूत हिस्सा 7/20 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा शाहपुरा बोदूसिंह पुत्र विजयसिंह हिस्सा 1/30 आशुसिंह कर्णसिंह पुत्रगण रामसिंह		6746 6747 6748 6751	4.22	बंजड़ 2 बाराणी 3	



21/09/21
सहायक कलेक्टर (जायपुर देका)
जीपकायाना

हिस्सा 1/54 हिस्सा बराबर राहिन यूको बैंक
शाखा अजीतगढ़ भवानीसिंह महावीरसिंह पिठो
रामसिंह हिस्सा 1/54 हिस्सा बराबर राहिन
पंजाब नेशनल बैंक हरदासकाबास गजेन्द्रसिंह
पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/108 जतनसिंह पुत्र
अन्नेसिंह हिस्सा 1/36 बन्नेसिंह पुत्र अन्नेसिंह
हिस्सा 5/108 बोदूसिंह पुत्र अन्नेसिंह हिस्सा
5/108 सोहनकंवर पत्नि जतनसिंह औमकंवर
पुत्री जतनसिंह झाबरसिंह मोहनसिंह पुत्रगण
जतनसिंह हिस्सा 1/9 हिस्सा बराबर
गंगाकंवर पत्नि नारायणसिंह गोकुलसिंह
रघुवीरसिंह सुमेरसिंह पुत्रगण नारायण सिंह
हिस्सा 3/20 हिस्सा बराबर सुमनकंवर पुत्री
नारायणसिंह हिस्सा 1/60 सुनिता पत्नि
किशोरसिंह सदाकंवर पुत्री किशोरसिंह
हिम्मतसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 1/36
हिस्सा बराबर जाति राजपूत राजेन्द्रकुमार पुत्र
रामनारायण हिस्सा 2/45 रामकरण पुत्र
शिवराम हिस्सा 1/10 जाति अहिर सा. देह



योग

किता-4

4.22

-

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :-

क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (हे0)	किस्म	लगान
1.	394(आंशिक) 176(आंशिक)	किशनसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत हिस्सा पूर्ण राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा शाहपुरा सा. देह नीझर छापुडाकला शाहपुरा खातेदार	6746/1 5886/1 5886/3	2.4110 0.04 0.16	बंजड़2 बारानी 2	
		योग	किता-3	2.6110		

Signature
21/09/23 विलियम सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमधोपुर (नीमकाथाना)

394(आशिक)	राजेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हिस्सा	5886/2	0.64	बंजड़2	
176(आशिक)	1192/1975 रामकरण पुत्र शिवराम हिस्सा 783/1975 जाति अहिर सा. देह	6746/2	0.3475	बारानी 2	
	योग	किता-2	0.3875	-	
394(आशिक)	बोदुसिंह पुत्र विजयसिंह हिस्सा	6736	1.00	बंजड़2	-
175(संपूर्ण)	2487/38615 , आशुसिंह, कर्णसिंह	6743	0.47	बारानी	
176(आशिक)	पुत्रगण रामसिंह हिस्सा 8824/193075	5885/7824	0.16	3	
	हिस्सा बराबर राहिन युको बैंक शाखा	5888	0.11	बारानी	
	अजीतगढ भवानी सिंह, महावीर सिंह पि.	5889	0.06	2	
	रामसिंह हिस्सा 8824/193075 हि.ब.	5890	0.28		
	राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा	5891	0.32		
	हरदासकाबास गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह	6746/3	0.0415		
	हिस्सा 4412/193075 जतनसिंह पुत्र	6747	0.35		
	अन्नेसिंह हिस्सा 2648/38615 बन्नेसिंह,	6748	0.26		
	बोदूसिंह पुत्रगण अन्नेसिंह हिस्सा	6751	0.81		
	8825/38615 हिस्सा बराबर सोहनकंवर				
	पत्नि जतनसिंह, औमकंवर पुत्री				
	जतनसिंह, झाबरसिंह मोहनसिंह पुत्रगण				
	जतनसिंह हिस्सा 4689/38615 हिस्सा				
	बराबर, गंगाकंवर पत्नि नारायणसिंह,				
	गोकुलसिंह, रघुवीरसिंह सुमेरसिंह पुत्रगण				
	नारायण सिंह हिस्सा 1266/7723 हिस्सा				
	बराबर , सुमनकंवर पुत्री नारायणसिंह				
	हिस्सा 703/38615 सुनिताकंवर पत्नि				
	किशोरसिंह, सदाकंवर पुत्री किशोरसिंह,				
	हिम्मतसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा				
	1173/38615 हिस्सा बराबर, लादूसिंह,				
	सुरजनसिंह पिता हरनाथसिंह हिस्सा				
	980/7723 हिस्सा बराबर हनुमानसिंह				
	पुत्र पाबूदानसिंह हिस्सा 816/38615,				
	गुलाबकंवर पत्नि मदनसिंह महेन्द्रसिंह,				



2. किशोरसिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमहाधोपुर (नीमकायाना)

राजुसिंह शंकरसिंह पि. मदनसिंह हिस्सा 816/38615 हि. ब. पुष्पाकंवर पुत्री समन्दरसिंह, सन्तोष कंवर पत्नि समन्दरसिंह, भवानीसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्रगण समन्दरसिंह हिस्सा 816/38615 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
योग	किता-11	3.8615	-	-

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू. अ./23/1455 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



यह निर्णय आज दिनांक 21.09.2023को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Palho
21/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कमिश्नर (फार्ड डिक्री)
श्रीमाधोपुर (निर्मल न्यायालय)
श्रीमाधोपुर (निर्मल न्यायालय)

Palho
21/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कमिश्नर (फार्ड डिक्री)
श्रीमाधोपुर (निर्मल न्यायालय)
श्रीमाधोपुर (निर्मल न्यायालय)